न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 33 / 2020
रजिस्ट्रेशन नं. :2020 / 00037

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री सवाय सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मुलसिंह राजपुरोहित विक्रेता एवं भागीदार मैसर्स जोधपुर स्वीट कॉर्नर,कस्टम चौराहा, फखरी पेट्रोल पम्प के सामने बॉसवाडा (राज.)
2. श्री हनुमान सिंह पुत्र रधुनाथ सिंह राजपुरोहित भागीदार मैसर्स जोधपुर स्वीट कॉर्नर,कस्टम चौराहा, फखरी पेट्रोल पम्प के सामने बॉसवाडा (राज.)

उपस्थित :–

श्री सवाय सिंह राजपुरोहित

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 10.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 18–12–2020 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 02–03–2020 को 4.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स जोधपुर स्वीट कॉर्नर,कस्टम चौराहा, फखरी पेट्रोल पम्प के सामने** बॉसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री सवाय सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मुलसिंह राजपुरोहित** उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान में **काउन्टर में एक स्टील की ट्रे में करीब 6 कि0ग्रा0 बेसन के लड्डु** आम जनता को विक्रय हेतु पाये गये। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **आम जनता को बिक्री हेतु रखे करीब 6 कि0ग्रा0 बेसन लड्डु मे से 2 कि0ग्रा0** वास्ते नमूना जाँच हेतु [illegible] **एवं खाली स्टील की ट्रे में खरीदा तथा इनकी कीमत 720 रु.** विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र / रजिस्ट्रेशन–2020 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.26 16:46:03 IST
Reason: SelfAttested

पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **2 कि0ग्रा0 बेसन के लड्डु को चुर कर एक रुप किया तथा चार साफ, सुखे व खाली कॉच के जारो में बराबर–बराबर (प्रत्येक मे करीब 500 ग्राम) भरकर फार्मेलीन की 40 बूंद प्रत्येक में डालकर जार का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया।** उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/64 दिनांक 04.05.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 75 दिनांक 26.03.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **बेसन के लड्डु** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(I)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 28–12–2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 10.02.2021 को अभियुक्त **श्री सवाय सिंह राजपुरोहित** ने न्यायालय में उपस्थित होकर कथन किया कि अभियुक्त श्री हनुमान सिंह राजपुरोहित पुत्र रधुनाथ सिंह राजपुरोहित भागीदार मैसर्स जाधपुर स्वीट कॉर्नर कस्टम चौराहा बॉसवाडा उनके भाई है जो वर्तमान में गॉव में है। माइग्रेन की समस्या होने से उपस्थित नही हो सकते है। **श्री सवाय सिंह राजपुरोहित विक्रेता एवं भागीदार मैसर्स जोधपुर स्वीट कॉर्नर,कस्टम चौराहा, फखरी पेट्रोल पम्प के सामने बॉसवाडा** ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली [illegible] अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक [illegible] किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/64 दिनांक 04.05.20[illegible] एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.26 16:46:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 75 दिनांक 26.03.2020 के अनुसार विक्रेता से वारते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **बेसन के लड्डु** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निरस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गये **बेसन के लड्डु** विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री सवाय सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मुलसिंह राजपुरोहित विक्रेता एवं भागीदार, श्री हनुमान सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह राजपुरोहित भागीदार मैसर्स जोधपुर स्वीट कॉर्नर,कस्टम चौराहा, फखरी पेट्रोल पम्प के सामने बॉसवाडा को रूपये 40,000/– (अक्षरे रू. चालीस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

नरेश
(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.26 16:46:03 IST
Reason: SelfAttested